


प्रेस विज्ञप्ति

जनपद न्यायाधीश महोदय कानपुर देहात के आदेशानुसार जनपद न्यायाधीश के कैम्प कार्यालय/आवासीय परिसर (माती) कानपुर देहात में स्थित 120 पेड़ फलदार अमरुद की नीलामी कार्यवाही दिनांक: 14.11.2016 को सायंकाल 04:00 बजे दीवानी न्यायालय कानपुर देहात में सम्पन्न होगी। उपरोक्त पेड़ों की नीलामी की संविदा में उपयुक्त पात्र व्यक्ति नियमानुसार भाग ले सकते हैं। वे नीलामी की शर्तें केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय कानपुर देहात के कार्यालय अथवा नजारत के सूचना पट से किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से 05:00 बजे तक अवलोकित कर सकते हैं।

इसके साथ की नीलामी की सूचना तथा शर्तें जनपद न्यायालय कानपुर देहात के वेबसाइट— ecourts.gov.in/Kanpurdehat पर भी उपलब्ध है।

आज्ञा से

कृते जनपद न्यायाधीश
कानपुर देहात।

नीलामी सूचना


माननीय जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात के आदेशानुसार सर्वसधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायाधीश के कैम्प कार्यालय/आवासीय परिसर में स्थित 120 पेड़ फलदार अमरुद के नीलामी हेतु प्रकिया वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु दिनांक: 14.11.2016 को समय 04:00 बजे दीवानी न्यायालय कानपुर देहात के केन्द्रीय नजारत के समक्ष की जायेगी, नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति नीलामी प्रक्रिया में खुली बोली में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं।

नीलामी की शर्तें व नियम

1. उपरोक्त 120 पेड़ फलदार अमरुद की बोली में सम्मिलित होने से पहले धरोहर धनराशि में रुप में 10,000/- रु0 नजारत अनुभाग में कौशियर के पास जमा करनी होगी।
2. प्रकिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को कभी किसी न्यायालय ने दण्डित न किया हो।
3. स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी बोली नीलामी हेतु स्वीकृत होगी के द्वारा स्वीकृत अनुबन्ध की सम्पूर्ण धनराशि की 1/4 धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, तथा शेष धनराशि दो दिन के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।
4. स्वीकृति के उपरान्त भागीदार जिसकी बोली स्वीकृत होगी, के द्वारा स्वीकृत नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि उपरोक्तानुसार जमा नहीं करने पर उसकी जमानत राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः जब्त समझी जायेगी।
5. नीलामी की अन्तिम स्वीकृति जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात महोदय द्वारा की जायेगी।
6. नीलामी बिना कोई कारण बताये स्थगित या अस्वीकृत भी की जा सकती है।
7. उपरोक्त 120 पेड़ फलदार अमरुद के उपयोग की अवधि दिनांक: 31.03.2017 को स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद तुरन्त सम्बन्धित अध्यासी द्वारा पेड़ अमरुद का अध्यासन केन्द्रीय नाजिर, दीवानी न्यायालय कानपुर देहात को हस्तगत किया जायेगा।

सूचना आज दिनांक: 27.10.2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी।

दिनांक: 27.10.2016


(कमलेश कुमार पाठक)

अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला जज/एफ0टी0सी0
कानपुर देहात।